

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) वधियक पर हस्ताक्षर कयिा चर्चा में क्यौं?

14 जनवरी, 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत वधियक पर हस्ताक्षर कर दयिे हैं।

प्रमुख बदिु

- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधनियिम (संशोधन) वधियक को 15 दसिंबर, 2021 को पारति कयिा गया था।
- उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् नई कर प्रणाली में कुछ कठनिर्झियाँ सामने आई हैं।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा वशिष वृत्तकि (सी.ए. आदी) से कराने संबंधी उपबंध करता है, परणामस्वरूप करदाताओं, वशिषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतरिकित अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतरिकित अधनियिम के वभिन्न उपबंधों में कतपिय वसिंगतयिौं पाई गई थीं। साथ ही आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लयिे जाने के प्रावधान को अधकि कठोर करने की आवश्यकता है, ताकि गलत आगत कर प्रत्यय की उपलब्धता रोकी जा सके।
- उपर्युक्तानुसार यथावर्णति अनुपालन भार को कम करने, अधनियिम के प्रावधानों में वदियमान वसिंगतयिौं को दूर करने एवं आगत कर प्रत्यय से संबंधति प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लयिे छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 में कतपिय संशोधन का नरिणय लयिा गया था।
- जी.एस.टी. काउंसलि द्वारा लयिे गए नरिणय के परिरेक्ष्य में 28 मार्च, 2021 से केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधनियिम, 2021 प्रवृत्त है। अतः छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 में भी तदनुसार संशोधन कयिा जाना आवश्यक था।